

**Office of the Managing Director
PVVNL, Victoria Park, Meerut.**

Bid Procedures:

Sale of Bid Document -

A complete set of Tender documents can be downloaded online by the bidders on payment of a non-refundable Rs.1770.00 (1500.00 tender fees + 270.00 GST 18% GST) (Rs One Thousand Seven hundred Seventy only) through RTGS in favour of "SE (HQ), PVVNL" payable at Meerut.

The Tender document can also be downloaded from discom Web site i.e. www.pvvnl.org or E-tender website i.e. www.etender.up.nic.in. Both Parts shall be filled compulsorily online by visiting at www.etender.up.nic.in.

Earnest Money Deposit (EMD) -

All bidders are required to deposited **EARNEST MONEY of Rs 20,000.00/- (Rs. Twenty Thousand Only)** in the form of RTGS in favour of "SE (HQ), PVVNL" payable at Meerut along with the bid.

The bids received without required Earnest Money & Tender fees shall be rejected without further reference. No interest shall be payable by PVVNL on the Earnest Money deposited by Bidder.

Detail of Bank :

Name of Account Holder	-	SE (HQ), PVVNL, Meerut.
Bank Account No.	-	3493639431
Name of Bank & Branch	-	Central Bank of India, Jail Chungi, Meerut.
I.F.S.C. Code	-	CBIN0282337

The undersigned reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereto.


Superintending Engineer (HQ)
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि.
PVVNL, Meerut
विपरीत पार्क, मेरठ

NOTE:

- i) This Agreement is to be filled in and enclosed with tender Bid Part-I.
ii) To be made on non judicial stamp paper of Rs. 10/- + Revenue Stamp of Rs. 1/-.

AGREEMENT

Tender Invited by

Superintending Engineer (HQ)
PVVNL, Victoria Park, Meerut.

Tender Specification No

PVVNL/MT/HQ/01/Sedan Vehicle/2023-24

Tender Invited for (Name of work)

Name of Tenderer


In consideration of the **PASCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED**, having treated the tenderer to be an eligible person whose tender may be considered, the tenderer hereby agree to the conditions that the proposal in response to the above invitation shall not be withdrawn within 180 days from the date of opening of tender bid Part -I & II, also to the conditions that if thereafter the tenderer does withdraw his proposal within the said period, the earnest money deposited by him may be forfeited to the U.P. Power Corporation Ltd. in the discretion of the later.

Signed this _____ day of _____ 2023.

Witness :

- (i)
(ii)

Signed by Tenderer
With Official Seal


अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि.
विश्वविद्यालय मार्ग मेरठ

(TENDER FORM)

Tender. No. PVVNL/MT/HQ/01/Sedan Vehicle/2023-24
(To be filled and submitted by the Tenderer in Tender Bid Part-I)

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO TENDERERS:

Your tender shall not be considered if you fail to submit this form duly filled UP Replies should be complete without ambiguity and should be clearly written against each item. Terms such as "Refer covering Letter" etc. shall not be acceptance you may however, attach extra sheets if the space left is not sufficient.

S.No.	Particulars.	
1.	Tender No. against which you have tendered	
2.	Receipt No. and date by which cost of tender was deposited by you	
3.	Name and address of tendered.	
4.	Location of offices.	
5.	Amount of earnest money deposited with full details, be submitted here. (Enclose)	
6.	Quantity offered (if there are two or more items, state quantities separately with units) with tolerance.	Full.
7.	Do you agree to all conditions of the tender specification.	
8.	Name and detailed address of your authorized representative with email id and mobile No. against this tender.	
9.	Full name, Mobile No. and Email ID of tenderer, proprietor / partners Directors be given.	
10.	Give GST Registration No. enclosed Copy	
11.	Firm Bank Details:-	
	Bank Name	
	IFSC Code	
	Account Number	
	Branch Name	
	Branch Address	
12.	Please enclose statement of past/ current supplies/ execution of works of similar nature alongwith order copies.	
13.	Whether all the scheduled and documents required have been submitted or not ?	
	PRICE	
14.	If your quoted prices are inclusive of any taxes/ duties other charges except GST, give details of such taxes / duties other charges included and at what rates ?	

Date:

Place:

Signature of the Tenders
Name:

Status:

Seal of the Tendering Company

अधीक्षण अधिवक्ता (मुख्यालय)
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि.
विष्णुगिरि पार्क, मेरठ

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मुख्यालय मेरठ पर तैनात अधिकारियों के प्रयोगार्थ, 04 नग सिडान वाहन (वातानुकूलित, डीजल चालित, वाहन चालक सहित, वाणिज्यक पंजीकृत, मॉडल 03 वर्ष से पुराना न हो), किराये पर उपलब्ध कराने हेतु।

अति-अल्पकालीन निविदा विशिष्टीकरण सं०-पविनिनि/मे/मु/01/सिडान वाहन/2023-24

1. अर्हताएँ (प्री क्वालीफाईंग शर्तें)

1. जीएसटी विभाग द्वारा जारी फर्म के पंजीकरण का नवीनतम एवं वैध प्रमाण पत्र।
2. फर्म की बैंक पास बुक/बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति।
3. फर्म द्वारा जमा किया गया निविदा शुल्क व ई०एम०डी० धनराशि की स्लिप/पावती की छायाप्रति।
4. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ, स्टाम्प पेपर व हस्ताक्षर तथा मोहर सहित।
5. संतोषजनक वाहन आपूर्ति किये जाने सम्बन्धित अनुभव प्रमाण पत्र।
6. वाहन आपूर्ति किये जाने सम्बन्धित कार्यादेश/अनुबन्ध की प्रति।

2. अन्य नियम एवं शर्तें :-

1. फर्मों द्वारा उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र/प्रपत्र, निविदा के प्रथम-भाग में संलग्न किये जाने अनिवार्य है अन्यथा निविदा का द्वितीय भाग नहीं खोला जायेगा।
2. फर्म/ठेकेदार के बीजको पर आयकर कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
3. वाहन देते समय फर्म को वाहन के पूर्ण कागजातों की मूलप्रति उपलब्ध करानी होगी। गाड़ी को मोटर व्हीकल एक्ट की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा।
4. दुर्घटना की दशा में सम्बन्धित वाहन चालक को क्षतिपूर्ति, फर्म/ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी।
5. निविदादाता कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत अपने कर्मों का बीमा करायेगा।
6. फर्म के वाहन चालक की किसी भी प्रकार की दुर्घटना के समय कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत, विभाग द्वारा लागू प्राविधानों के अंतर्गत पीडित पक्षकार के परिजनों को भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
7. केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार वाहन पर फास्टटैग लगा होना अनिवार्य है। अतः फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन पर फास्टटैग लगा होना सुनिश्चित किया जायेगा। जिसका रिचार्ज फर्म द्वारा कराया जायेगा तथा मासिक बिल के साथ फर्म द्वारा माह में लगे टोल टैक्स की रसीदे सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करनी होगी, जिनका भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।
8. यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता विभाग के संज्ञान में आती है तो तत्काल अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध शून्य होने अथवा अनियमितता के फलस्वरूप समस्त धनराशि का दायित्व फर्म का होगा तथा विभाग एवं तदनुरूप लागू प्राविधानों के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार की धनराशि शास्ति के रूप में उस पर अवधारित की जाती है तो उसके जमा के लिए भी फर्म उत्तरदायी होगी।
9. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. वाहनो की सीटो पर सफेद रंग के तौलिये एवं खिडकी पर पर्दे लगे होने चाहिए तथा नियमित अन्तराल पर सीटो पर लगे तौलियों एवं खिडकियों के पर्दों की धुलाई सफाई करना तथा वाहन की अन्दर व बाहर से नियमित रूप से धुलाई व सफाई, फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से करायी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में फर्म पर प्रति दिन रु० 100.00 की दर से पैनल्टी लगाई जायेगी, जोकि बीजक की धनराशि की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी तथा साथ ही उस दिन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
11. निरस्त की गयी निविदा की ई.म.डी धनराशी अथवा टेन्डर फीस धनराशी किसी अन्य निविदा में समायोजित नहीं की जायेगी।
12. किसी भी दुर्घटना की दशा में समस्त क्षतिपूर्ति, फर्म/ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी।
13. उपरोक्त टेन्डर रनिंग कान्ट्रेक्ट 01 वर्ष की अवधि का होगा। जिसको आपसी सहमति/Performance के आधार पर आवश्यकतानुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
14. फर्म को जी.एस.टी. यथा अनुमन्य देय होगा तथा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई कर देय नहीं होगा।
15. फर्म द्वारा जमा किये गये प्रपत्रों में कोई प्रपत्र मिथ्या (False) पाया जाता है, तो फर्म द्वारा जमा की गई ई०एम०डी० धनराशि को जब्त कर फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही (काली सूची में डालना आदि) की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
16. विभाग द्वारा विलम्ब से भुगतान प्राप्ति अथवा समय से भुगतान अवमुक्त न होने की दशा में फर्म को कम से कम 3 माह तक अपने स्तर से वाहन का रख-रखाव एवं अपने कर्मियों को भुगतान करना होगा।
17. गाड़ी की सर्विस व मरम्मत आदि कार्य नियमित अन्तराल पर कराये जायेगे, जिसके लिय सक्षम अधिकारी की सुविधा अनुसार समय दिया जायेगा।
18. वाहन की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी।
19. कार्य में सम्मिलित कर्मचारी भविष्य में सेवायोजन सम्बन्धी किसी भी प्रकार का वाद प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के विरुद्ध दायर नहीं करेंगे, न ही वह मान्य होगा।

अधीक्षक अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

20. वाहन, वाहन चालक सहित किराये पर लिया जायेगा एवं वाहन तथा चालक की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी। ड्राइवर की नाइट शिफ्ट का कोई भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहन चालक को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय प्राप्त हो।
21. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनो की प्रति किमी० डीजल की खपत वातानुकूलित रहित चलने पर 15 कि०मी०/ली० व वातानुकूलित सहित चलने पर 13 कि०मी०/ली० से कम नहीं होनी चाहिए।
22. उपरोक्त टेन्डर रनिंग कान्ट्रैक्ट होगा तथा विभाग द्वारा फर्म को एल०ओ०आई० निर्गत करने के 07 दिन के अन्दर वाहन (चालक सहित) उपलब्ध कराना होगा।
23. वाहन 03 वर्ष से पुराना न हो।
24. गाडी के वाहन चालक का लाइसेन्स वाणिज्यिक श्रेणी में नवीनीकृत/पंजीकृत होना चाहये।
25. विभाग द्वारा दैनिक उपभोग हेतु डीजल के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री फर्म/वाहन चालक को उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
26. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये ड्राइवर का व्यवहार कुशल/अनुभवी/स्वस्थ होना आवश्यक है।
27. यदि किसी ड्राइवर के व्यवहार/कार्यशैली सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है, तो फर्म को सूचित करने के (फोन/व्हाट्सप्प/मेल द्वारा) 24 घण्टे के अन्दर व्यवहार कुशल/अनुभवी/स्वस्थ ड्राइवर उपलब्ध कराना होगा अन्यथा की स्थिति में क्र०सं० 10 में वर्णित दर से पैनल्टी लगाई जायेगी, जिसकी धनराशि फर्म के बीजको से समायोजित की जायेगी।
28. फर्म के चालक को गाडी की लोग बुक का रख-रखाव करना होगा तथा प्रतिदिन गाडी चलने की कि०मी० रीडिंग (वातानुकूलित सहित/वातानुकूलित रहित) को सत्यापित कराकर विभाग के अधिकारी से हस्ताक्षरित करना होगा।
29. फर्म को लोगबुक सत्यापन के आधार पर बीजक प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
30. गाडी खराब होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरी गाडी 03 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रु० 100.00 प्रति घण्टे की दर से तथा पूरे दिन उपलब्ध न कराने की दशा में प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्टी (जिस अवधि में गाडी उपलब्ध नहीं रही है) फर्म के बीजक से काटी जायेगी, जोकि बीजक की धनराशि की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी तथा उस दिन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
31. गाडी के रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म के मालिक की होगी। यदि गाडी दुर्घटना या अन्य किसी कारण से क्षतिग्रस्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण गाडी मालिक का होगा।
32. विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र मेरठ होगा।
33. अनुबन्ध के समय फर्म को रु० 100.00 का नोन जूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वयं अपने खर्चे पर उपलब्ध कराना होगा, जिस पर अनुबन्ध किया जायेगा जिसके साथ निविदा की कुल धनराशि का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी की एफ०डी०आर०/बैंक गारण्टी 18 माह की अवधि के रूप में, जो अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (SE HQ PVVNL, MEERUT) के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करनी होगी।

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
अधीक्षण अभियन्ता (मु०)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कूत प्रबन्ध निदेशक
विक्टोरिया पार्क, मेरठ